अधिसूचना संख्या 183/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1970(ई), दिनांक 20-7-2015

जबकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ.1267(ई) दिनांक 28 दिसंबर, 2001 द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 1 पर, "श्रीमती उषाबेन रसिकलाल शॉ दिग्विजय लायन दर्दी सहायक ट्रस्ट, 5, विश्रांति गृह, सिविल अस्पताल के सामने, अहमदाबाद - 380016" द्वारा, "संपूर्ण गुजरात में दर्दी सहायक ट्रस्ट द्वारा मुफ्त चिकित्सा सेवाओं का संचालन" को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था. जिसे *आगे* अधिसूचना संख्या एस.ओ.783(ई) दिनांक 5 जुलाई, 2004 के तहत वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होकर दो वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ.237(ई) दिनांक 15 फरवरी, 2007 के तहत वित्तीय वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ होकर दो वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ.1254(ई) दिनांक 18 मई, 2009 के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2887(ई) दिनांक 27 दिसंबर, 2011 के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि अधिसूचना संख्या एस.ओ.237(ई) दिनांक 15 फरवरी, 2007 द्वारा अनुमानित लागत 15.00 लाख रुपये की मूल निधि सहित 51.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 15.00 लाख रुपये की मूल निधि सहित 102.00 लाख रुपये कर दी गई थी और जबकि अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2887(ई) दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 द्वारा अनुमानित लागत 15 लाख रुपये की मूल निधि सहित 102 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये की मूल निधि सहित 171 लाख रुपये कर दी गई थी;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के तेरह वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और, जबकि, सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति, यह संतुष्ट होने पर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, ने आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43), इसके द्वारा "गुजरात के पूरे क्षेत्र में दर्दी सहायक ट्रस्ट द्वारा मुफ्त चिकित्सा सेवाओं का संचालन" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जो "श्रीमती उषाबेन रसिकलाल शॉ दिग्विजय लायन दर्दी सहायक ट्रस्ट, 5, विश्रांति गृह, सिविल अस्पताल के सामने, अहमदाबाद - 380016" द्वारा अनुमोदित लागत 171 लाख रुपये में किसी भी बदलाव के बिना, 15 लाख रुपये की एक कॉरपस निधि सहित, वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि *यानी* 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए किया जा रहा है।

■■